संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

प्री पी जी प्रवेश परीक्षा 2009 प्रथम काउंसिलिंग की सूचना

(म. प्र. शासन के अंतर्गत सभी स्वशासी चिकित्सा महाविघालय/दंत चिकित्सा महाविघालय एवं म. प्र. के निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविघालय/दंत चिकित्सा महाविघालय की पी.जी. डिग्री/डिप्लोमा सीटों पर प्रवेश बाबत)

व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित प्री–पीजी प्रवेश परीक्षा 2009 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों के आधार पर जारी प्रावीण्य सूची (मेरिट) के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को उपलब्ध डिग्री एवं डिप्लोमा की सीटों पर नियमानुसार आवंटन प्रदाय करने हेतु प्री–पीजी काउंसलिंग के संबंध में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा कार्यालय की वेबसाईट पर जारी दिनांक 24.04.09 से 28.04.09 तक के काउंसलिंग कार्यक्रम को संशोधित करते हुए अब दिनांक 28.4.09 से 02.5.09 तक प्रातः 9.00 बजे से निम्न कार्यक्रम अनुसार गांधी चिकित्सा महाविघालय भोपाल में काउंसिलिंग का आयोजन किया जा रहा है ।

काउंसिलिंग कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे से

दिनांक	कार्यक्रम	श्रेणी का नाम	वे उम्मीदवार जिन्हें उपस्थित होना है
28.4.09	स्क्रूटनी	एम.डी.एस., अनुसूचित जनजाति (एस.टी.)/ अनुसूचित जाति (एस.सी.) अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी)/ अनारक्षित (यू.आर.) सभी श्रेणी के पी.एच. सहित	मेरिट के आधार पर समस्त श्रेणी के सभी पात्र उम्मीदवार
28.4.09	स्क्रूटनी	मेडिकल पी.जी. डिग्री/डिप्लोमा सभी श्रेणियों के सेवारत उम्मीदवार	मेरिट के आधार पर समस्त श्रेणी के सभी पात्र उम्मीदवार
29.4.09	आवंटन	एम.डी.एस., अनुसूचित जनजाति (एस.टी.)/ अनुसूचित जाति (एस.सी.) अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी)/ अनारक्षित (यू.आर.) सभी श्रेणी के पी.एच. सहित	मेरिट के आधार पर समस्त श्रेणी के सभी पात्र उम्मीदवार
29.4.09	आवंटन	मेडिकल पी.जी. डिग्री/डिप्लोमा सभी श्रेणियों के सेवारत उम्मीदवार	मेरिट के आधार पर समस्त श्रेणी के सभी पात्र उम्मीदवार
29.4.09	स्क्रूटनी	मेडिकल पी.जी. डिग्री/डिप्लोमा अनुसूचित जनजाति (एस.टी) पी.एच. अनुसूचित जाति (एस.सी) पी.एच. अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) पी.एच.	मेरिट के आधार पर सभी पात्र उम्मीदवार
29.4.09	स्क्रूटनी	अनुसूचित जनजाति (एस.टी) ओपन	मेरिट क्र. 1 से 140 तक
30.4.09	आवंटन	मेडिकल पी.जी. डिग्री/डिप्लोमा अनुसूचित जनजाति (एस.टी) पी.एच. अनुसूचित जाति (एस.सी) पी.एच. अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) पी.एच.	मेरिट के आधार पर सभी पात्र उम्मीदवार
30.4.09	आवंटन	अनुसूचित जनजाति (एस.टी) ओपन	मेरिट क्र. 1 से 140 तक

30.4.09	स्क्रूटनी	मेडिकल पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा अनुसूचित जाति (एस.सी.) ओपन अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) ओपन	 मेरिट क्र 1 से 110 तक मेरिट क्र 1 से 100 तक
01.5.09	आवंटन	मेडिकल पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा अनुसूचित जाति (एस.सी.) ओपन अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) ओपन	 मेरिट क्र 1 से 110 तक मेरिट क्र 1 से 100 तक
01.5.09	स्क्रूटनी	मेडिकल पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा अनारक्षित (यू.आर.) पी.एच. अनारक्षित (यू.आर) ओपन	 सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 1 से 200 तक
2.5.09	आवंटन	मेडिकल पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा अनारक्षित (यू.आर.) पी.एच. अनारक्षित (यू.आर) ओपन	 सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 1 से 200 तक
2.5.09	स्क्रूटनी एवं आवंटन	अनारक्षित (यू.आर.) ओपन	मेरिट क्र. 201 से 350 तक

आयोजित की जा रही काउंसिलिंग के संबंध में उम्मीदवार को पृथक से काल लेटर नियमानुसार जारी नहीं किये जा रहे है । व्यापम द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर समस्त श्रेणी के मेरिट उम्मीदवार उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों में काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

प्री पी जी प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को काउंसिलिंग में उपस्थित होने पर सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10000/- (रू दस हजार मात्र) तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिनके माता पिता /संरक्षक की आय रू 1.80 लाख से अधिक है वे रू 2000/- (रू दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफट जो संचालक, चिकित्सा शिक्षा भोपाल के नाम से देय हो आवंटन पश्चात जमा करना होगा ।

प्री पी जी परीक्षा नियम 2009 के प्रारूप 3 में दर्शाये अनुसार सभी **मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां दो सेट के बिना काउंसिलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी** ।

किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त होने अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग वही समाप्त घोषित कर दी जावेगी ।

पात्र उम्मीदवार काउंसिलिंग में उपस्थित होने के पूर्व प्री पी जी प्रवेश परीक्षा नियम 2009 का भलिभांति अध्ययन कर लेवें । यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र के अनुसार ही मान्य किये जायेगें ।

सेवारत उम्मीदवारों को प्रवेश हेतु नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा जारी स्पांसरशिप प्रमाण पत्र काउंसिलिंग स्थल पर जमा करना आवश्यक है । सेवारत उम्मीदवारो को काउंसिलिंग के समय काउंसिलिंग व्यय के रूप में रू 1500/- (रू एक हजार पांच सौ मात्र) बैंक ड्राफट जो संचालक, चिकित्सा शिक्षा के नाम से देय हो, उपलब्ध कराना होगा ।

नोट-

1. प्री-पीजी प्रवेश परीक्षा 2009 के निजी क्षेत्र के चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित परीक्षा परीणाम, काउंसलिंग एवं प्रवेश आदि माननीय उच्च न्यायालय जबलपूर में सुनी जा रही याचिका क्र. डब्लू.पी. 2732/09, डब्लू.पी. 2764/09 एवं डब्लू.पी. 3732/09 के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे ।
2. यदि उल्लेखित काउंसिलिंग कार्यक्रम मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना काउंसिलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।
3. एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को काउंसिलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जावेगी ।

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश